संख्याः 151 /XXVII(1)/ 2012

प्रेषक,

आर.सी.अग्रवाल,
अपर सचिव, वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त अधिशासी अधिकारी,
नगर पालिका परिषद,
(संलग्न विवरणानुसार)
उत्तराखण्ड।

वित्त अनुभाग–1 देहरादूनः दिनांकः 16 मार्च ,2012

विषयः– **13वॉ वित्त आयोग की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णय के अनुसार वित्तीय वर्ष 2011–12 की द्वितीय किश्त हेतु धनराशि का संकमण।**

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि 13वॉ वित्त आयोग, भारत सरकार की संस्तुतियों के कम में समस्त नगर पालिका परिषदों को चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 में द्वितीय किश्त हेतु **₹ 61675000.00 (रू0 छः करोड़ सोलह लाख पिच्चहत्तर हजार मात्र) की** धनराशि निम्न शर्तो के अधीन संकमित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

उपर्युक्त धनराशि निम्न शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन संकमित की जा रही हैः–

1. संकमित धनराशि का व्यय पेयजल, मल–जल व्यवस्था, ठोस अपशिष्ट पदार्थ प्रबन्धन और स्ट्रीट लाइट पर किया जायेगा।
2. स्थानीय निकाय के लेखा परीक्षा तथा लेखा विवरण अद्यतन होनी चाहिये।
3. संकमित की जा रही धनराशि को कोषागार से आहरित करने के लिये बिल सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा। संकमित की जा रही धनराशि का उपयोग केवल उसी प्रयोजन हेतु किया जायेगा, जिसके लिये संकमित की गई है। इस धनराशि से किसी प्रकार का व्यावर्तन/ समायोजन अनुमन्य नहीं होगा। इस धनराशि को वेतन/ पेंशन आदि पर व्यय नहीं किया जायेगा।
4. **अवमुक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र अधिशासी अधिकारी तथा अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद के हस्ताक्षर से दिनांकः 15 मई, 2012 तक प्राप्त हो जाने चाहिये।**
5. नगर विकास विभाग संकमित की जा रही धनराशि की नियमानुसार उपयोग की समीक्षा करेगें तथा इसके समुचित उपयोग के लिये उत्तरदायी होगें। कोषागार से आहरित धनराशि, वाउचर संख्या, दिनांक एवं व्यय की गई धनराशि का विवरण महालेखाकार, उत्तराखण्ड, प्रमुख सचिव/सचिव, नगर विकास तथा वित्त आयोग निदेशालय को प्रेषित करना होगा।
6. शासनादेश में वित्त विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्ट शर्तो का अनुपालन विभागीय अधिकारी/ वित्त नियंत्रक/मुख्य/ वरिष्ठ/लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेगें।
7. अवमुक्त की जा रही धनराशि के उपयोगिता प्रमाण–पत्र भारत सरकार को प्रेषित किये जाते हैं। उपयोगिता प्रमाण–पत्र के विलम्ब से प्राप्त होने के कारण यदि कोई धनराशि लैप्स होती है तो उसके लिये अधिशासी अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगें।

इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 के आय–व्ययक की अनुदान संख्याः 07 के लेखाशीर्षकः 3604–स्थानीय निकायों तथा पंचायतीराज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन–आयोजनेत्तर–01–नगरीय स्थानीय निकाय–192–नगर पालिका / नगर निकाय–01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें–0103–13वें वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान–20–सहायक अनुदान/ अंशदान/राज सहायता के नामें डाला जायेगा एवं संलग्न प्रपत्र–बी.एम. –15 के कॉलम–1 की बचतों से वहन किया जायेगा।

भवदीय,

(आर.सी.अग्रवाल)
अपर सचिव, वित्त।

संख्याः 151(i)/XXVII(1)/ 2012, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव/सचिव, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. आयुक्त,गढ़वाल मण्डल/कुमॉऊ मण्डल, उत्तराखण्ड।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबेरॉय बिल्डिंग, सहारनपुर रोड़, देहरादून।
5. निदेशक, शहरी एवं नगरीय विकास, 43/6 माता मन्दिर मार्ग, धर्मपुर,देहरादून।
6. निदेशक, लेखा एवं हकदारी, 23 लक्ष्मी रोड़,उत्तराखण्ड–देहरादून।
7. समस्त मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. निदेशक, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, वित्त आयोग प्रभाग,ब्लॉक–11, पंचमतल, सी.जी.ओ. काम्पलैक्स, लोधी रोड़, नई दिल्ली।
9. निजी सचिव, मा0 मुंख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड सरकार।
10. वित्त आयोग निदेशालय, उत्तराखण्ड शासन।
11. एन.आई.सी. सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड–देहरादून।

आज्ञा से,

(आर.सी. अग्रवाल)
अपर सचिव, वित्त।

,शासनादेश संख्याः 151 /XXVII (1)/2012
दिनांकः 16 : मार्च ,2012 का संलग्नक।

13वॉ वित्त आयोग द्वारा संस्तुत शहरी स्थानीय निकायों को वर्ष 2011–12 हेतु देय द्वितीय किश्त की धनराशि।

(धनराशि हजार ₹ में)

क0सं0	शहरी स्थानीय निकाय का नाम	वर्ष 2011–12 हेतु देय द्वितीय किश्त
1	*2*	*3*
नगर पालिका परिषद		
1	उत्तरकाशी	2410
2	जोशीमठ	1826
3	चमोली / गोपेश्वर	2367
4	नई टिहरी	2736
5	नरेन्द्र नगर	564
6	मसूरी	7056
7	विकासनगर	675
8	ऋषिकेश	3161
9	कोटद्वार	2087
10	श्रीनगर	1177
11	पौड़ी	2838
12	टनकपुर	907
13	रामनगर	1486
14	नैनीताल	3904
15	जसपुर	1613
16	काशीपुर	3552
17	बाजपुर	856

13वॉ वित्त आयोग द्वारा संस्तुत शहरी स्थानीय निकायों को वर्ष 2011–12 हेतु देय द्वितीय किश्त की धनराशि।

(धनराशि हजार ₹ में)

क0सं0	शहरी स्थानीय निकाय का नाम	वर्ष 2011–12 हेतु देय द्वितीय किश्त
18	गदरपुर	811
19	रूद्रपुर	5579
20	किच्छा	1332
21	सितारगंज	1046
22	खटीमा	1074
23	रूड़की	3617
24	मंगलौर	1091
25	पिथौरागढ़	3280
26	अल्मोड़ा	1803
27	बागेश्वर	873
28	रूद्रप्रयाग	1503
29	दुग्गड्डा	190
30	भवाली	261
योग		61675.00

(₹ छः करोड़ सोलह लाख पिच्चहत्तर हजार मात्र)

(आर.सी.अग्रवाल)
अपर सचिव, वित्त।

प्रपत्र बी0एम0 –15

पुनर्विनियोग विवरण

(जैसा कि उल्लेख प्रस्तर– 178 में है)

नियन्त्रक अधिकारी– अपर मुख्य सचिव, वित्त प्रशासनिक विभाग– वित्त विभाग अनुदान संख्या–07

(धनराशि हजार में)

बजट प्राविधान एवं लेखाशीर्षक	मानक मदवार अद्यावधिक व्यय	वित्तीय वर्ष की शेष अवधि में अनुमानित व्यय	अवशेष धनराशि	लेखाशीर्ष, जिसमें धनराशि स्थानान्तरित की जानी है तथा धनराशि	पुनर्विनियोग के उपरान्त स्तम्भ–5 की कुल धनराशि	पुनर्विनियोग के उपरान्त स्तम्भ–1 में अवशेष धनराशि
1	2	3	4	5	6	7
3604– स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं की क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन 01– नगरीय स्थानीय निकाय 192– नगर पालिका/ नगर निकाय 01–केन्द्रीय आयोजनागत/ केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाऐ 04–13वें वित्त आयोग द्वारा संस्तुत निष्पादन अनुदान 20–सहायक अनुदान/ अंशदान/ राज सहायता रू0 46487.00	0	45257	1230	3604– स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं की क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन 01– नगरीय स्थानीय निकाय 192– नगर पालिका/ नगर निकाय 001–केन्द्रीय आयोजनागत/ केन्द्र पुरोनिधानित योजनाऐ 03–13वें वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान 20–सहायक अनुदान/ अंशदान/ राज सहायता रू0 1230.00	179408	45257
योगः– 46487.00	**0**	**45257**	**1230**	**1230.00**	**179408**	**45257**

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त पुनर्विनियोग से बजट मैनुअल के प्रस्तर–150–156 में उल्लिखित प्राविधानों एवं सीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

पुनर्विनियोग स्वीकृति।

उत्तराखण्ड शासन
वित्त अनुभाग–1
संख्याः151–ए/ XXVII(1)/ 2012
देहरादून : दिनांकः 16 मार्च, 2012

(आर.सी. अग्रवाल)
अपर सचिव, वित्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड शासन।
2–निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, 23–लक्ष्मी रोड़, डालनवाल, देहरादून।
3–निदेशक, शहरी विकास विभाग, माता मन्दिर रोड़, धर्मपुर, देहरादून।
4– समस्त जिला मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5–समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर निगर पालिका परिषद, उत्तराखण्ड।

आज्ञा से,

(आर.सी. अग्रवाल)
अपर सचिव, वित्त।